

जनपद कन्नौज के अन्तर्गत 765 के0वी0 मैनपुरी-उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधों का 0.320 हे0 संरक्षित पटरी भूमि पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि की योजना/प्राक्कलन मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ द्वारा अनुसूचित दरों के अनुसार सारांश (रू0 230 प्रतिदिन मजदूरी के आधार पर) प्रस्ताव संख्या- FP/UP/TRANS/21539/2016

क्र० स०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	वर्तमान दर (रू0 में)	वर्तमान दर के अनुसार वॉछित धनराशि (रू0 में)	10 प्रतिशत दर के आधार पर गुणांक	प्रयोक्ता एजेंसी से वॉछित धनराशि (कॉलम 6X7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)	0.320	प्रति हे0	34700	11104	1	11104
2	द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)	0.320	प्रति हे0	31000	9920	1.1	10912
3	तृतीय चरण (अनुरक्षण प्रथम वर्ष)	0.320	प्रति हे0	19700	6304	1.21	7628
4	चतुर्थ चरण (अनुरक्षण द्वितीय वर्ष)	0.320	प्रति हे0	17914	5732	1.331	7630
5	पंचम चरण (अनुरक्षण तृतीय वर्ष)	0.320	प्रति हे0	18802	6017	1.4641	8809
6	षष्ठम चरण (अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष)	0.320	प्रति हे0	7527	2409	1.6105	3879
7	सप्तम चरण (अनुरक्षण पंचम वर्ष)	0.320	प्रति हे0	9614	3076	1.7716	5450
8	अष्टम चरण (अनुरक्षण षष्ठम वर्ष)	0.320	प्रति हे0	6795	2174	1.9488	4237
9	नवम चरण (अनुरक्षण सप्तम वर्ष)	0.320	प्रति हे0	6795	2174	2.1437	4661
10	दशम चरण (अनुरक्षण अष्टम वर्ष)	0.320	प्रति हे0	1548	495	2.3581	1168
11	एकादशम चरण (अनुरक्षण नवम वर्ष)	0.320	प्रति हे0	1548	495	2.5939	1285
12	द्वादशम चरण (अनुरक्षण दशम वर्ष)	0.320	प्रति हे0	1548	495	2.8533	1413
	योग						68177

रू0 अरसठ हजार एक सौ सत्हत्तर मात्र

उपरोक्त दरें मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ के पत्रांक 544/2-37-2 (सीलिंग दर) दिनांक 18.01.2024 पर आधारित है।

(डॉ० हेमन्त कुमार सेठ)
(हेमन्त कुमार सेठ)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज
कन्नौज

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ
पत्रांक- S 44/2-37-2 (सीलिंग दर) दिनांक, लखनऊ जनवरी: 18, 2024

कार्यालय आदेश

भारत सरकार के पत्रांक-1/वन/आर०ओ०सी०/95-2011/भाग-5/1225 दि० 22.01.2013 में निर्देश दिये गये हैं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तावों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण में वृक्षों के रख-रखाव का समय 5 वर्ष के स्थान पर 7 से 10 वर्ष तक वृक्षारोपण में लगाये गये वृक्षों का रख-रखाव किया जायेगा, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० के पत्रांक 1190/11-सी० सामान्य दिनांक 28.01.2013 द्वारा प्रचालित की गयी है। भारत सरकार के पत्रांक-1/वन/आर०ओ०सी०/95-2011/भाग-5/1225 दिनांक 22.01.2013 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्रांक 1190/11-सी० सामान्य दिनांक 28.01.2013 तथा पत्रांक 1819/1सी-क्षतिपूरक वनीकरण दिनांक 01.04.2015 द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में उ०प्र० कैम्पा कार्यकारिणी समिति की 19वीं बैठक दिनांक 10.07.2015 एवं 21वीं बैठक दिनांक 28.08.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार कैम्पा से कराये जा रहे वृक्षारोपणों का रख-रखाव सात से दस वर्षों (वृक्षारोपण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) तक किया जाना है। विभिन्न वृक्षारोपणों मॉडल हेतु मजदूरी दर रु० 230/- प्रति दिन के आधार पर वर्षवार अनुरक्षण की सीलिंग दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

(दर प्रति है०) (धनराशि रुपये में)

क्र० सं०	विवरण	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	पंचम वर्ष अनुरक्षण	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	नवम वर्ष अनुरक्षण
1	सामान्य भूमि वृक्षारोपण	19700.00	17914.00	18802.00	7527.00	9614.00	6795.00	6795.00	1548.00	1548.00
2	ऊसर भूमि वृक्षारोपण	23700.00	23365.00	24253.00	7646.00	11441.00	6795.00	6795.00	1548.00	1548.00
3	बीहड़ भूमि वृक्षारोपण	18400.00	17973.00	18861.00	7502.00	9589.00	6795.00	6795.00	1548.00	1548.00
4	पठारी भूमि वृक्षारोपण	17900.00	18209.00	19097.00	7738.00	9825.00	6795.00	6795.00	1548.00	1548.00
5	सामान्य, ऊसर एवं पठारी क्षेत्रों में ब्लाक वृक्षारोपण में 8 से 12 फुट पौध के रोपण का आर०सी०सी० खम्बे व कांटेदार तार से घेरबाड़/सुरक्षा खाई/पत्थरबाड़ी आदि सहित (सिंचाई हेतु बोरिंग का प्राविधान) (प्रति है० 625 पौध)									
	1) सुरक्षा खाई/पत्थरी बाड़ी									
	अ- सामान्य भूमि	32600.00	27980.00	17354.00	7303.00	7303.00	6567.00			
	ब- ऊसर भूमि	32600.00	28164.00	17538.00	7487.00	7487.00	6567.00			
	स- पठारी भूमि	32600.00	28072.00	17446.00	7395.00	7395.00	6567.00			
	2) कांटेदार तार से घेरबाड़ आरसीसी पिलर सहित									
	अ- सामान्य भूमि	32600.00	28091.00	17465.00	7414.00	7414.00	6567.00			
	ब- ऊसर भूमि	32600.00	28091.00	17465.00	7414.00	7414.00	6567.00			
	स- पठारी भूमि	32600.00	28091.00	17465.00	7414.00	7414.00	6567.00			
6	सामान्य, ऊसर एवं पठारी क्षेत्रों में ब्लाक वृक्षारोपण में 8 से 12 फुट पौध के रोपण का आर०सी०सी० खम्बे व कांटेदार तार से घेरबाड़/सुरक्षा खाई/पत्थरबाड़ी आदि सहित (ट्रैक्टर द्वारा सिंचाई) (प्रति है० 625 पौध)									
	1) सुरक्षा खाई/पत्थरी बाड़ी									
	अ- सामान्य भूमि	50900.00	40396.00	21944.00	7210.00	7210.00	6567.00			
	ब- ऊसर भूमि	50900.00	40580.00	22105.00	7371.00	7371.00	6567.00			
	स- पठारी भूमि	50900.00	40488.00	22024.00	7290.00	7290.00	6567.00			
	2) कांटेदार तार से घेरबाड़ आरसीसी पिलर सहित									
	अ- सामान्य भूमि	50900.00	40507.00	22148.00	7414.00	7414.00	6567.00			
	ब- ऊसर भूमि	50900.00	40507.00	22148.00	7414.00	7414.00	6567.00			
	स- पठारी भूमि	50900.00	40507.00	22148.00	7414.00	7414.00	6567.00			
7	सामान्य, ऊसर एवं पठारी क्षेत्रों में ब्लाक वृक्षारोपण में 8 से 12 फुट पौध के रोपण का आर०सी०सी० खम्बे व कांटेदार तार से घेरबाड़ आदि सहित (सिंचाई हेतु बोरिंग का प्राविधान) (प्रति है० 1000 पौध)									
	अ- सामान्य भूमि	40300.00	33281.00	19550.00	7414.00	7414.00	6567.00			
	ब- ऊसर भूमि	40300.00	33281.00	19550.00	7414.00	7414.00	6567.00			
	स- पठारी भूमि	40300.00	33281.00	19550.00	7414.00	7414.00	6567.00			

8	ब्रिकगार्ड में किए जा रहे वृक्षारोपण (प्रति ब्रिकगार्ड)	468.00	383.35	60.58	16.17	16.17	16.17			
9	आर0सी0सी0 गार्ड में किए जा रहे वृक्षारोपण (प्रति आर0सी0सी0 गार्ड)	216.38	145.12	56.86	16.11	16.11	16.11			
10	मार्ग के किनारे पंक्ति वृक्षारोपण (तारबाड़-आर0सी0सी0 खम्भे व कांटेदार तार) प्रति हे0 625 पौध	51600.00	40830.00	22591.00	7777.00	7777.00	6567.00			
11	मार्ग के किनारे पंक्ति वृक्षारोपण (तारबाड़-आर0सी0सी0 खम्भे व कांटेदार तार) प्रति हे0 1000 पौध	51600.00	53340.00	27421.00	7777.00	7777.00	6567.00			
12	बहुपंक्ति वृक्षारोपण (तारबाड़) प्रति हे0 1100 पौध	53529.00	42236.00	22335.00	10093.00	8005.00	6795.00	6795.00		
13	खोला/खादर भूमि (1600 पौधे) में किए जा रहे वृक्षारोपण	23750.00	20654.00	21542.00	7527.00	10563.00	6795.00	6795.00	1548.00	1548.00
14	खुले (Open) क्षेत्र में वृक्षारोपण अनुरक्षण हेतु सुरक्षा के दृष्टिगत 4 है0 पर एक श्रमिक मानते हुए अनुरक्षण का आंकलन (प्रति पौध)	27.86	28.82	26.63	11.61	13.51	10.95	10.95	1.41	1.41

सीलिंग दरों के अन्तर्गत वर्षवार मदवार प्रस्तावित कार्यमदों का विवरण **संलग्नक-1** से **14** में दिये गये विवरणानुसार ही रहेगा। वृक्षारोपणों के अनुरक्षण कार्य निम्न बिन्दुओं/प्रतिबन्धों का संज्ञान लेकर किया जायेगा:-

1. प्रत्येक वृक्षारोपण स्थल पर रोपित पौधों के सापेक्ष जीवित पौधों की प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार गणना वर्ष में दो बार जून एवं दिसम्बर माह की अन्तिम तिथि के आधार पर अनिवार्य रूप से करायी जायेगी एवं गणना पंजिका का रख-रखाव विधिवत किया जायेगा।
2. समस्त व्यय वृक्षारोपण की सफलता के अनुरूप देय होगा एवं वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (Wage) भी वृक्षारोपण की सफलता से लिंक (Link) रहेगा।
3. अन्य व्यय के अन्तर्गत अग्निरोधक उपाय, वृक्षारोपण के फोटोग्राफ, जी0पी0एस0 पॉलीगन फाइल बनाना, आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण बोर्ड की पुनः पेंटिंग, बीहड़ क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त बन्धे की मरम्मत इत्यादि व्यय सम्मिलित होंगे। अग्नि निरोधक उपायों के अन्तर्गत क्षेत्र की घास कटाई, झुके पौधों पर सपोर्टिंग/स्टैकिंग सम्बन्धी कार्यों को अन्य कार्यों से प्राथमिकता दी जायेगी।
4. वनीकरण की सुरक्षा हेतु वह सभी उपाय अपनाये जायेंगे एवं सुरक्षा श्रमिक से वह सभी कार्य कराये जायेंगे जो वनीकरण की सुरक्षा हेतु आवश्यक हैं।
5. चतुर्थ वर्ष से सुरक्षा श्रमिक द्वारा सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई, इत्यादि कार्य भी किये जायेंगे।
6. क्षेत्रीय वनाधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार प्रूनिंग/छंटाई (अधिकतम 30 प्रतिशत) की जायेगी।
7. मुख्य वन संरक्षक, समाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अनुमन्य कार्यमदों की निर्धारित दरों के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के कियान्वयन हेतु गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0-541/2-37-2 दिनांक 17.01.2024 द्वारा विभिन्न वृक्षारोपण मॉडल की सीलिंग दरें परिचालित की गयी है, तदनुसार वर्षवार अनुरक्षण की सीलिंग दरें निर्धारित की गयी है।

8. सीलिंग दरों के निर्धारण में सुरक्षा खाई की फ्रेशनिंग/पत्थर बाड़ी मरम्मत, इत्यादि की सीमा कुल कार्य मात्रा की 5 प्रतिशत ली गयी है। तारबाड़ मरम्मत लमसम रु0 1210.00 प्रति हेक्टेयर पर आंकलित है।
9. वित्तीय नियमों के अन्तर्गत क्षेत्रीय वन संरक्षकों को अपने वृत्त के अन्तर्गत अनुसूचित दरों का निर्धारण कर उपरोक्त दरों का संज्ञान लेते हुए निर्धारित सीलिंग सीमा के अन्तर्गत, जो दर कम हो, उसी के अनुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय करने की कार्यवाही की जाये।
10. प्रथम वर्ष अनुरक्षण में 10 प्रतिशत बीटिंग-अप का कार्य भी सम्मिलित है।
11. उक्त सीलिंग दर तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

उक्त आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(पी0पी0 सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ

पत्रांक S44 /2-37-2(सीलिंग दर), दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान व प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0, लखनऊ।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ।
8. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
9. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ0प्र0, लखनऊ।
10. समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव, अनुसंधान सहित), उत्तर प्रदेश।
11. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड बुक।

(पी0पी0 सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ

पत्रांक S44 /2-37-2(सीलिंग दर), दिनांकित

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0पी0 सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ

सामान्य भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपणों में प्रस्तावित कार्यों का विवरण

धनराशि ₹0 में (प्रति हे०)

क्र०स०	कार्य का विवरण	आवृत्ति / कार्यमद	श्रमिक दर 230/- पर आगणन
	उ०प्र० कैम्पा से कराए जा रहे वृक्षारोपण हेतु मदवार प्रस्तावित कार्य		
1	2	3	4
	मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी के अनुसार अनुमन्य कार्यमदों के आधार पर	अ०मू०का०	34700.00
		वृक्षारोपण	31000.00
		योग-	65700.00
	प्रथम वर्ष अनुरक्षण		
	मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी के अनुसार अनुमन्य कार्यमदों के आधार पर		19700.00
	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण		
1	पौधों की निराई गुड़ाई	दो बार	3256.00
2	पौधों की सिंचाई	दो बार	2772.00
3	सुरक्षा खाई की फ्रेशनिंग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि (अधिकतम 5 प्रतिशत)		732.00
4	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (8 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	10494.00
5	अन्य व्यय	रु० 660	660.00
		योग-	17914.00
	तृतीय वर्ष अनुरक्षण		
1	पौधों की निराई गुड़ाई	दो बार	3256.00
2	पौधों की सिंचाई	दो बार	2772.00
3	सुरक्षा खाई की फ्रेशनिंग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि (अधिकतम 5 प्रतिशत)		732.00
4	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		888.00
5	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (8 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	10494.00
6	अन्य व्यय	रु० 660	660.00
		योग-	18802.00
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण		
1	सुरक्षा खाई की फ्रेशनिंग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि (अधिकतम 5 प्रतिशत)		732.00
2	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		888.00
3	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	5247.00
4	अन्य व्यय	रु० 660	660.00
		योग-	7527.00
	पंचम वर्ष अनुरक्षण		
1	सुरक्षा खाई की फ्रेशनिंग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि (अधिकतम 5 प्रतिशत)		732.00
2	क्षेत्रीय वनाधिकारी/उप प्रमाणीय वनाधिकारी की देख-रेख में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार प्रूनिंग/छंटाई (वृत्त दरों पर)		2087.00
3	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		888.00
4	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	5247.00
5	अन्य व्यय	रु० 660	660.00
		योग-	9614.00
	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण		
1	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	5247.00
2	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		888.00
3	अन्य व्यय	रु० 660	660.00
		योग-	6795.00
	सप्तम वर्ष		
1	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	5247.00
2	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (वृत्त की दरों पर)		888.00
3	अन्य व्यय	रु० 660	660.00
		योग-	6795.00
	अष्टम वर्ष अनुरक्षण		
1	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (वृत्त की दरों पर)		888.00
2	अन्य व्यय	रु० 660	660.00
		योग-	1548.00
	नवम वर्ष अनुरक्षण		
1	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (वृत्त की दरों पर)		888.00
2	अन्य व्यय	रु० 660	660.00
		योग-	1548.00
		सम्पूर्ण योग-	155943.00